# न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

**बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0**

| **प्रार्थी** | | **अप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| 1.चंद्रावल कंवर पत्नी देवीसिंह जी<br>2.हेमन्तसिंह भाटी पुत्र देवीसिंह जी<br>जातियान राजपूत निवासीगण बडगांव<br>तहसील शिवगंज जिला सिरोही | **बनाम** | 1.राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज<br>2.अध्यक्ष, काम्बेश्वर सेवा मंडल संस्था शिवगंज |
| **विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा** | | **विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल गहलोत**<br>अप्रार्थी सं0 2 |

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**रा0प्रा0 पत्र स0 15/2022**
**दिनांक 14.01.2025**

**—::आदेश::—**

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील शिवगंज में पास पास आई हुई है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बडगांव में खसरा नं0 666/36 रकबा 1.1898 हैक्टयर आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि के नाम खातेदारी चली आ रही है प्रार्थीगण कदीमी से अपने खेत पर आने जाने हेतु फसल बोने हेतु ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु जो रास्ता पुराने समय से चला आ रहा था प्रार्थीगण उसी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। उक्त रास्ता खसरा नं0 666/13 व खसरा नं0 666/37 में से निकलता है। प्रार्थी के खातेदारी वाली उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के पास में अप्रार्थी सं0 1 की सरकारी भूमि खसरा नं0 666/13 किस्म खालखददर आई हुई है तथा अप्रार्थी सं0 2 के खातेदारी की भूमि खसरा नं0 666/37 तथा उक्त दोनों खसरा वाली कृषि भूमि में से प्रार्थीगण रास्ते के रूप में आने जाने हेतु 6 मीटर चौडे रास्ते का उपयोग कर रहे है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण बडगांव से शिवगंज आने वाले रास्ते से सरकारी भूमि व अप्रार्थी सं0 02 की भूमि मे से होकर अपनी कृशि आराजी पर आते जाते है। प्रार्थी द्वारा उपयोग में लिया जा रहा रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाघा उत्पन्न की जा रही है। अतः प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 666/36 पर आने जाने हेतु खसरा नं0 666/13 व खसरा नं0 666/37 में से 6 मीटर चौडा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 535 दिनाक 21.06.2022 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार शिवगंज के पत्र कमांक 242 दिनांक 20.07.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार शिवगंज ने रिपोर्ट में अवगत कराया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं0 666/37 व 666/13 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं0 666/37 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाये जाने से उनके द्वारा दिनांक 08.09.2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम 10 सप. धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसको दिनांक 7.5.2024 को स्वीकार किया गया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने संशोधित अनवान पेश किया। दिनांक 03.09.2024 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसको प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 1.10.2024 को जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक [illegible]2.20[illegible] को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर अवगत कराया कि प्रार्थीपत्र के [illegible] से पूर्व मौके के हालात को रेकर्ड पर लेने के लिये विडियोग्राफी कराने का आदेश करावें। उक्त प्रार्थना पत्रों की उभय पक्षकारान की दिनांक 10.01.2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि राज0 काश्तकारी अधिनियम 251 'क' के अनुसार स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी खातेदार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर लधुत्तम दूरी का रास्ता डीएलसी दर की दुगुनी कीमत पर दिया जाने का प्रावधान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:57 IST
Reason: SelfAttested

........................ **शेष पेज संख्या दो पर**

व इसी अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तावित किये रास्ते के अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराया जावे। मौके पर प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी के रिश्तेदारों की भूमि में से आने जाने का कोई प्रावधान विधि में नहीं है तथा प्रार्थीगण के रिश्तेदारों की कृषि भूमि भी प्राथीगण की लगती हुई भूमि से नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो निम्न प्रकार है–

1. 2022(2)DNJ (REV) page no.1057 साबिर हुसैन बनाम अजित कुमार यादव वगैरह रेवेन्यू बॉर्ड अजमेर
2. 2022(1)DNJ (REV) page no.634 राजेन्द्र बनाम रमेश कुमार रेवेन्यू बॉर्ड अजमेर
3. 2022(2)DNJ (REV) page no.1151 लालाराम बनाम पृथ्वीराज रेवेन्यू बॉर्ड अजमेर
4. 2022(2)(REV) page no.1615 सुखवीरसिंह बनाम अनिल कुमार रेवेन्यू बॉर्ड अजमेर

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने अपने बहस के समर्थन में कथन किये कि प्रार्थीगण द्वारा 2022 में अप्रार्थी संख्या 1 को पक्षकार बनाते हुए रास्ते की मांग के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था इस प्रार्थना पत्र में सिवायचक खसरा नं. 666/13 मौजूदा रेकर्ड के सिवायचक भूमि व काम्बेश्वर महादेव सेवा मंडल ट्रस्ट के नाम खातेदारी के राजस्व खसरा नं. 666/37 से रास्ते की मांग की गई पक्षकार संख्या दो को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही होते हुए भी रास्ते की मांग के कार्यवाही चलती रही साथ ही खसरा नं. 666/13 भूमि पूर्व राजस्व रेकर्ड के शंकरलाल मेघवाल परिवार के कब्जा कास्त खातेदारी की थी उसे भी पूर्व रेकर्ड के खातेदार को खुर्द बुर्द करते हुए सिवाय चक के कब्जे के काबीज व्यक्ति को पक्षकार बनाए बिना रास्ता देने की कार्यवाही होती रही सिवाय चक खसरा नं. 666/13 भूमि अनुसुचित जाति के कब्जे के काबीज होने व रा. का. अधिनियम धारा 42 की व्यवस्था के उस वर्ग जाति की भूमि पर दुसरे वर्ग जाति का कब्जा होने पर उस भूमि से दुसरे वर्ग के व्यक्ति को बेदखल करने के भूमिधारी तहसीलदार द्वारा धारा 175 रा.का अधिनियम के वाद बनाते हुए उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का प्रावधान है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसा किए बिना प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहा व उक्त आराजी को सिवाय चक मानते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब के सिवाय चक भूमि में रास्ता देते हुए प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की मंशा के अनुरूप दिनांक 24.07.2023 को अपना जवाब प्रस्तुत किया व अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब के साथ आर आई की मौका रिपोर्ट दिनाक 20.07.2023 को प्रस्तुत किया तहसीलदार के जवाब व आर आई की मौका रिपोर्ट के पेरा संख्या 6 में लिखा कि सिवाय चक भूमि पर पडोसी खातेदारो का कब्जा है परन्तु किसका कब्जा है व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख नहीं है व उस व्यक्ति के विरूद्ध टी.पी. कार्यवाही का उल्लेख नही है इस जवाब के बाद नाजायज तरीके के रास्ता देने की कार्यवाही जारी रही अर्थात 21.06.2022 से 24.07.2024 तक प्रार्थना पत्र की कार्यवाही चलती रही उसके बाद अप्रार्थी संख्या दो को पक्षकार बनाने की आवश्यकता समझते हुए संसोधित वाद के पक्षकार बनाया गया व दिनांक 27.07.2024 को नोटीस जारी किया जिस पर अप्रार्थी दो के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या दो के उपस्थित होने के बाद अप्रार्थी संख्या दो की ओर से दिनांक 03.09.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अडोस पडोस के मौके के हालात व खातेदारो के नाम स्पष्ट करने के मौका रिपोर्ट मंगवाने के निवेदन किया परन्तु उस प्रार्थना पत्र की मंशा (इच्छा) के कोई आदेश कार्यवाही नही हुई। अप्रार्थी संख्या दो ने अपने जवाब के पुर्व एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हल्का पटवारी की मौजूदगी में प्रार्थीगण परिवार के मुखिया व परिवार सदस्यों के नाम इन्द्राज उत्तर पूर्व की फाटक से लगाकर प्रार्थीगण परिवार के नाम राजस्व खसरा नं. 666/23, 666/28 व 666/10 की भूमि के साथ इस आराजी में कुंए से सिवाय चक भुमि खसरा नं. 666 [illegible] 666/13 व 666/37 में मध्य कदमी तारबंदी तक के भूभाग की विडियोग्राफी हल[illegible] की मौजुदगी में कराने का निवेदन किया परन्तु उस प्रार्थना पत्र पर को[illegible] की जो भी कमी रही उसे देखते हुए प्रार्थनापत्र निस्तारण योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:57 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर मौके के हालात मंगवाने व अडौस पडौस की तारबंदी के हालात मंगवाये जाने हेतु दिनांक 3.9.2024 को प्रस्तुत किया लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है। व काश्तकारी अधिनियम में मौका रिपोर्ट के अलावा अन्य हालात की मौका रिपोर्ट मंगवाकर 251 'क' के निस्तारण करने का प्रावधान नहीं होने से अप्रार्थी सं0 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. विधि के प्रावधानों के तहत परिपोषणीय नहीं होने से निरस्त किया गया।

.................... शेष पेज संख्या 3 पर

प्रकरण सं0 15/2022
चंद्रावल कंवर व अन्य बनाम स्टेट व अन्य
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेज, तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, विद्वान अधिवक्ताओं की बहस तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन व उस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगणों के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु 6 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी उक्त प्रकरण की प्रकृति पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है। जिससे प्रार्थीगण को न्यायहित में रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

| कसं0 | खातेदार का नाम | खसरा नं0 | खसरे में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल | डीएलसी दर | डीएलसी दर के कीमत रूपये | प्रार्थीगणों द्वारा जमा कराने योग्य दुगुनी राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री काम्बेश्वरजी सेवा मण्डल संस्था शिवगंज | 666/37 | 70X6=420 वर्गमीटर | 1157272 रू0 प्रति0 हैक्ट. EXTERIOR | 48605 | 97210 |
| 2 | राजस्थान सरकार (बिलानाम) | 666/13 | 10X6=60 वर्गमीटर | 1157272 रू0 प्रति0 हैक्ट. INTERIOR | 6944 | 13888 |
| | | कुल किता 2 | कुल क्षैत्रफल 80X6=480 वर्गमीटर | | कुल राशि– | 1,11,098/–रू0 |

अतः तहसीलदार शिवगंज के जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 666/36 रकबा 1.1898 हैक्टयर भूमि में पंहुचने हेतु मौजा बडगांव के खसरा नं0 666/37 रकबा 0.5018 हैक्टयर भूमि के खातेदार श्री काम्बेश्वर सेवा मण्डल संस्था शिवगंज व मौजा बडगांव के खसरा नं0 666/13 रकबा 10.5218 हैक्टयर भूमि के खातेदार राजस्थान सरकार (बिलानाम) शिवगंज में से सारणी अनुसार कुल रकबा 480 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित होने से तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित रास्ता 6 मीटर चौडा एवं 80 मीटर लम्बाई कुल प्रस्तावित रास्ता 480 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 1157272 प्रतिहैक्टयर के अनुसार 55,549/–रूपये बनती है जिसकी दुगनी राशि 1,11,098/– ( एक लाख ग्यारह हजार अंठानवे) रूपये का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को जमा कराने या खातेदार द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

( नीरज मिश्र )
सहायक कलक्टर,
शिवगंज
दिनांक 14.01.2025

क्रमांक/कोर्ट/2025/
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर,
शिवगंज